राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प. 9(133)राज–6/2015/83 जयपुर, दिनांक 18.07.2019

अधिसूचना

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या 15 वर्ष 1956) की धारा 26 की उप–धारा (1) सपठित धारा 260 उप–धारा (1) खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 एवं इसके तहत बने नियमों के अंतर्गत जिला जोधपुर, बीकानेर, सीकर, भरतपुर एवं भीलवाडा जहां भू–प्रबन्ध कार्य चल रहा है, वहां सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी पर अधिरोपित कर्तव्यों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, **वरिष्टतम निरीक्षक, भू–प्रबन्ध** द्वारा सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी का पदस्थापन होने तक जिला जोधपुर, बीकानेर, सीकर, भरतपुर एवं भीलवाडा के सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

18.7.19

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

11. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी।
12. निजी सचिव, मा. राजस्व मंत्री जी।
13. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
14. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/विशिष्ठ सचिव, राजस्व।
15. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
16. समस्त सम्भागीय आयुक्त राजस्थान।
17. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
18. निदेशक, जनसंपर्क राजस्थान को प्रकाशन हेतु।
19. सविरा, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर।
20. रक्षित पत्रावली।

18.7.19

शासन उप सचिव

Scanned by CamScanner